

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4725

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की बढ़ती कीमतें

4725. एडवोकेट चन्द्र शेखर:
श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संबंधी अनियमितताओं के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में यूरिया, डीएपी और अन्य प्रमुख उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने और उन्हें किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए कोई नई नीति या योजना लागू करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
- (ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के मामले में, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। नीति के तहत, पोषक तत्वों अर्थात् नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के आधार पर सब्सिडी वाले पीएंडके

उर्वरकों पर उत्पादक/आयातक को वार्षिक/छमाही आधार पर तय सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और उर्वरक कंपनियों को उचित स्तर पर बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार एमआरपी तय करने की अनुमति दी गई है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। किसानों को पीएंडके उर्वरकों की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को वार्षिक/छमाही आधार पर तय करते समय प्रमुख उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, डीएपी को 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, 'अन्य लागत' को कवर करने के लिए 3500 रुपये प्रति एमटी, जिसमें फैक्ट्री गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर पर उचित रिटर्न का प्रावधान शामिल हैं, जैसे विशेष प्रावधान खरीफ 2025 और रबी 2025-26 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए बढ़ाया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। उक्त अवधि में इन उर्वरकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री/खपत तथा अंतिम स्टॉक से संबंधित जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अलावा, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की गतिविधि की निगरानी पूरे देश में एक ऑन-लाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) कहा जाता है। डीएंडएफडब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

यह अनुलग्नक दिनांक 20.03.2026 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं.4725 के उत्तर के भाग (क) से (ड) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	16.65	18.39	15.87	4.20	5.43	4.64	3.09	1.42	1.18	15.97	16.27	13.73
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.85	4.07	3.56	0.85	0.83	0.63	0.75	0.58	0.47	0.26	0.22	0.19
5	बिहार	22.80	24.68	21.96	6.82	7.15	5.66	2.16	1.55	1.26	3.72	5.35	4.25
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.74	10.57	8.38	3.70	4.68	3.14	1.01	0.77	0.56	1.45	1.63	1.06
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.20	0.32	0.28	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	24.00	27.30	24.73	5.50	7.48	6.10	1.15	0.91	0.81	5.85	7.08	5.23
13	हरियाणा	21.50	23.68	20.46	5.70	6.48	5.59	0.60	0.43	0.35	0.70	0.30	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.76	0.85	0.74	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.04	0.39	0.41	0.35
15	जम्मू और कश्मीर	1.68	1.93	1.60	0.59	0.60	0.48	0.40	0.23	0.17	0.04	0.00	0.00
16	झारखंड	2.60	3.04	2.56	1.00	0.89	0.77	0.20	0.05	0.04	0.46	0.52	0.45
17	कर्नाटक	17.20	22.22	18.21	5.90	8.44	6.21	3.00	1.68	1.41	17.16	21.53	16.67
18	केरल	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.00	36.94	32.39	18.50	17.61	13.85	1.57	0.76	0.62	4.85	6.25	4.79
21	महाराष्ट्र	25.29	30.39	24.66	8.20	9.34	7.18	4.30	1.68	1.38	23.50	28.89	20.46
22	मणिपुर	0.22	0.35	0.31	0.12	0.04	0.04	0.12	0.05	0.04	0.00	0.03	0.03
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.09	0.11	0.10	0.06	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63
27	पुदुचेरी	0.15	0.18	0.17	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.09	0.06
28	पंजाब	29.25	34.90	29.45	7.25	8.46	7.17	0.90	0.49	0.41	1.70	0.71	0.58
29	राजस्थान	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	9.96	11.38	10.05	2.73	3.49	2.76	2.53	1.85	1.65	6.45	9.19	7.38
32	तेलंगाना	18.39	21.63	18.83	3.55	4.70	3.71	2.27	0.86	0.74	15.16	16.24	12.90
33	त्रिपुरा	0.27	0.28	0.19	0.05	0.02	0.02	0.09	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	2.20	2.38	2.05	0.35	0.64	0.52	0.09	0.07	0.03	0.35	0.15	0.11
35	उत्तर प्रदेश	77.50	87.39	74.72	24.70	27.69	22.38	3.36	1.42	1.22	7.00	6.64	4.79
36	पश्चिम बंगाल	14.25	16.49	14.05	4.05	4.36	3.77	3.70	2.70	2.36	10.12	11.16	9.61
	अखिल भारत	359.19	415.82	357.26	114.20	130.93	105.31	34.17	19.55	16.32	120.69	138.15	107.31

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
क्र.सं.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.73	27.62	22.74	16.45	126.31	156.51	116.80

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री													
आंकड़े एलएमटी में													
		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	22.21	30.85	22.02	151.29	183.98	149.72

